न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद पत्र सं0 :922 सन 2018

अनवान :–

1. छोटूलाल पुत्र जवाहरलाल जाति महाजन निवासी थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1. चन्द्रावली पत्नी गोपालसिह जाति राजपुत निवासी भंगुली तहसील नोहर।
2. मुकनसिह पुत्र हीरसिह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
3. सरोज पत्नी छोटूलाल जाति महाजन निवासी थिराना तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

दावा खाता तकसीम अन्तर्गत धारा 53 ,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री मदन मोहन जोशी अभिभाषक, वादी

निर्णय दिनांक :– 28.10.2021

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत वाद इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 265/206 के खसरा न0 191 की 6.4240हैक्ट व खसरा न0 287 की कुल 3.9580हैक्ट व खसरा न0 604 की 2.7190हैक्ट कुल 13.1010हैक्ट भूमि जिसमें वादी का 3400/13101हिस्सा अर्थात 3.40हैक्ट प्रतिवादी संख्या 1 का 2184/4367 हिस्सा अर्थात 6.552हैक्ट प्रतिवादी संख्या 2 का 42/4367 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 का 3023/13101 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका तौर से दर्ज होने से आपस में सीव डोल लगान का झगडा रहता है इसलिये वादी वाद भूमि में अपने हक हिस्सा की भूमि का खाता व लगान अलग से राजस्व रिकार्ड में कायम करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की अपने हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त के अनुसार मुश्तरका खाते की भूमि का खाता विभाजन करवाकर राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज करवा लेवे तो कुछ दिनों तक तो आजकल आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादी व प्रतिवीदगण के हक हिस्से एवं कब्जा काश्त के अनुसार खाता तकसीम किया जाकर राजस्व रिकार्ड मं खाता व लगान अलग अलग दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्षों को सुना जाकर वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है कि रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 265/206 के खसरा न0 191 की 6.4240हैक्ट व खसरा न0 287 की कुल 3.9580हैक्ट व खसरा न0 604 की 2.7190हैक्ट कुल 13.1010हैक्ट भूमि जिसमें वादी का 3400/13101हिस्सा अर्थात 3.40हैक्ट प्रतिवादी संख्या 1 का 2184/4367 हिस्सा अर्थात 6.552हैक्ट प्रतिवादी संख्या 2 का 42/4367 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 का 3023/13101 हिस्सा भूमि दर्ज है वादी व प्रतिवादीगण के हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार अच्छी में से अच्छी माडी में से माडी के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तेयार किया जाकर प्रस्तुत करने हेतु आदेशीत किया गया।

प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में तहसीलदार नोहर ने अपने पत्रांक पीडी/भू.अ./21/4615 दिनांक 27.10.2021 के द्वारा आदेशानुसार /निर्देशानुसार विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पत्राावली प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प निमला में प्रस्तुत होने पर वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

पेरोकार राज ने भी निवेदन किया की विभाजन प्रस्ताव के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 सयुक्त खाते में खातेदार काश्तकार दर्ज है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग दर्ज करवा पाने के अधिकारी है तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर किसी प्रकार का ऐतराज नही है बल्की सहमति जाहिर की गई है।

अतः तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वाद वादी अन्तिम डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि

रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 265/206 के खसरा न0 191 की 6.4240हैक्ट व खसरा न0 287 की कुल 3.9580हैक्ट व खसरा न0 604 की 2.7190हैक्ट कुल 13.1010हैक्ट भूमि में निम्नप्रकार से भूमि राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज किया जावे।

सरोज पत्नी छोटुलाल हिस्सा 3023/6424 जाति महाजन निवासी थिराना खातेदार रहन आईसीआईसी बैक शाखा नोहर छोटुलाल पुत्र जवाहरमल हि0 3401/6424 जाति महाजन निवासी थिराना खातेदार खसरा न0 191/6.424हैक्ट

मुकनसिह पुत्र हीरसिह हि0 126/6677 जाति राजपुत साकिन देह खातेदार चन्द्रावली पत्नी गोपालसिह हि0 6551/6677 जाति राजपुत साकिन देह खातेदार खसरा न0 287/3.958हैक्ट, 604/2.7190हैक्ट, कुल 6.6770हैक्ट भूमि रहेगी

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज किया जावे ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट... नीमला

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्राथमिक पर्चा–डिक्री

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर (हनुमानगढ)

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)**

अनवान :–

1. छोटूलाल पुत्र जवाहरलाल जाति महाजन निवासी थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1. चन्द्रावली पत्नी गोपालसिह जाति राजपुत निवासी भंगुली तहसील नोहर।
2. मुकनसिह पुत्र हीरसिह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
3. सरोज पत्नी छोटूलाल जाति महाजन निवासी थिराना तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद संख्या 922 सन 2018 निर्णय दिनांक 28/10/2021

वाद अन्तर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर आर0ए0एस0 उपखण्डाधिकारी, नोहर के समक्ष अभिभाषक वादी व प्रतिवादीगण व पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णयार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी अन्तिम डिक्री किया जाकर धोषित की जाती है।

रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 265/206 के खसरा न0 191 की 6.4240हैक्ट व खसरा न0 287 की कुल 3.9580हैक्ट व खसरा न0 604 की 2.7190हैक्ट कुल 13.1010हैक्ट भूमि में निम्नप्रकार से भूमि राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज किया जावे।

सरोज पत्नी छोटुलाल हिस्सा 3023/6424 जाति महाजन निवासी थिराना खातेदार रहन आईसीआईसी बैक शाखा नोहर छोटुलाल पुत्र जवाहरमल हि0 3401/6424 जाति महाजन निवासी थिराना खातेदार खसरा न0 191/6.424हैक्ट

मुकनसिह पुत्र हीरसिह हि0 126/6677 जाति राजपुत साकिन देह खातेदार चन्द्रावली पत्नी गोपालसिह हि0 6551/6677 जाति राजपुत साकिन देह खातेदार खसरा न0 287/3.958हैक्ट, 604/2.7190हैक्ट, कुल 6.6770हैक्ट भूमि रहेगी

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज किया जावे ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट... नीमला

उपखण्ड अधिकारी
नोहर